कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांक :– 2405 दिनांक :– 29/8/16

खुली नीलामी से सम्पदा किराये पर देने की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री ऋषभदेवजी के नवीन बस स्टेण्ड पर स्थित रिक्त सम्पदा दुकाने/गोदाम को खुली नीलामी बोली से किराये पर दिया जाना है। इस हेतु अधोहस्ताक्षर कर्ता के मन्दिर स्थित कार्यालय पर खुली निलामी बोली दिनांक 28.09.2016 को समय प्रातः 11 बजे से लगायी जावेगी।

क्र. सं.	सम्पदा का नाम एवं लोकेशन	दुकान/गोदाम नम्बर	बयाना राशि	सरकारी बोली
01	नवीन बस स्टेण्ड ऋषभदेव	दुकान नम्बर 21, 22, 23 गोदाम नम्बर 02	10000/– रूपये	नीलामी कमेटी द्वारा मौके पर तैय की जावेंगी।

1. सम्पदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट मय प्रार्थना पत्र के जमा कराना होगा। नकद राशि किसी भी परिस्थिति में जमा नही ली जायेगी। प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क 200/– रूपये जमा करा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा।
2. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली छोडी जायेगी, उसे मौके पर 6 माह की अग्रीम किराया राशि जमा करानी होगी।
3. नीलामी बोली स्वीकार करने, अस्वीकार करने, बिना कारण बताये नीलामी कार्यवाही स्थगित करने एवं अन्य सभी अधिकार कमेटी में निहित होगे तथा कमेटी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
4. सम्पदा किराये पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जावेगी, एवं किरायेदार को किरायानामा विभाग के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा।
5. नीलामी एवं सम्पदा किराये सम्बन्धित अन्य शर्ते sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट devasthan.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकेंगी।

सहायक आयुक्त

सम्पदा / कम्प्युटर प्रभारी
7414
5.5.16
2-9-2016

क्रमांक :– 2406 – 2417 दिनांक :– 29/8/16

<u>प्रतिलिपि</u> :– निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेषित है –

1– श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी बोली कार्यवाही में भाग लेने हेतु श्रीमान् के प्रतिनिधि को मनोनित करा ऋषभदेव भिजवाने का श्रम करावें।

2– श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निलामी बोली कार्यवाही में भाग लेने हेतु श्रीमान् के प्रतिनिधि को मनोनित करा ऋषभदेव भिजवाने का श्रम करावें।

3– कम्प्युटर शाखा, प्रधान कार्यालय पास भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

4– तहसीलदार, तहसील कार्यालय, ऋषभदेव, जिला– उदयपुर ।

5– उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय, ऋषभदेव को पास निलामी कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु लेखाकार को भिजवाने हेतु।

6– निरीक्षक, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव को निलामी दिनांक को उपस्थित रहने हेतु।

7– वृत निरीक्षक, पुलिस थाना, ऋषभदेव पास नियत निलामी दिनांक को पर्याप्त पुलिस जाप्ता सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराने हेतु।

8– सुरक्षा अधिकारी, मंदिर श्री ऋषभदेवजी पास मंदिर फोर्स के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाये जाने हेतु।

9– नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / तहसील कार्यालय।

10– सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।

11– सम्पदा शाखा कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त